

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-14/एम 7-230/2009(अंश)-- पटना, दिनांक..... पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-23 की उपधारा (1)(ट) यथा अद्यतन संशोधित में वर्णित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 14/एम 7-230/2009 (अंश)-1310, दिनांक 31.08.2015 के द्वारा पटना विश्वविद्यालय के अभिषद (syndicate)-के सदस्य के रूप में मनोनीत श्री संजय कुमार सिंह, 5/6 आनन्दपुरी, प0 बोरिंग कैनल रोड, पटना के स्थान पर डा0 नवीन कुमार आर्य, शिक्षक, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, पटना विश्वविद्यालय, को पटना विश्वविद्यालय के अभिषद (Syndicate) के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है।

2. मनोनीत सदस्य की कालावधि (tenure) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों की होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(सुनील कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञाप संख्या:-14/एम 7-230/2009(अंश)--

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञाप संख्या:-14/एम 7-230/2009(अंश)-- 1369

पटना, दिनांक..... 07/9/2015-

प्रतिलिपि :- कुलसचिव, पटना विश्वविद्यालय, पटना/डा0 नवीन कुमार आर्य, शिक्षक, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना पता-202, राधिका अपार्टमेंट आनन्दपुरी, साकेत गैलेक्सी के बगल में, बोरिंग कैनल रोड, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर से अनुरोध है कि वे इसे विभागीय वेब साईट पर अपलोड कर दें।

07/9/15

संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग